कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री अमन मार्केटिंग, 51 / 87, नयागंज, कानपुर।**
प्रार्थना-पत्र संख्या व दिनांक	**14 / 15, 08.05.2015**
प्रार्थी की ओर से	**श्री जी0 पी0 गुप्ता, अधिकृत प्रतिनिधि।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

प्रार्थी सर्वश्री अमन मार्केटिंग, 51 / 87, नयागंज, कानपुर द्वारा दिनांक 08.05.2015 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनके द्वारा निम्नलिखित प्रश्न का विनिश्चय किये जाने का अनुरोध किया गया है :-

The assessee is dealing in Raw Tobacco, Chewing Tobacco and Perfumery compound based on natural / synthetic oil, which is used in flavouring tobacco and Pan Masala. Assessee needs clarifiation on rate of VAT applicable on Perfumery Compound which is used in flavouring Tobacco and Pan Masala ?

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु श्री जी0 पी0 गुप्ता, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए, उनके द्वारा प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया और फर्म द्वारा Perfumery Compound का सैम्पल अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी द्वारा कहा गया कि उनकी फर्म Raw Tobacco, Chewing Tobacco, Pan Chatni and Perfumery Compound की ट्रेडिंग में डील करते हैं और उनके द्वारा Perfumery Compound दिल्ली की फर्म-M/s. Gopal Consumer World से कन्साइनमेन्ट के आधार पर फार्म-एफ के विरुद्ध खरीद करते हैं। दिल्ली में उक्त कम्पाउन्ड पर 5% की करदेयता है और इस आधार पर उनके द्वारा अपने प्रोडक्ट को भी उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-सी के सीरियल नम्बर-225 में वणित प्रविष्टि-NATURAL OR SYNTHETIC FLAVOURING ESSENCES, NATURAL OR SYNTHETIC ESSENTIAL OIL INCLUDING MIXTURES THEREOF, SANDAL OIL AND ATAR के अन्तर्गत मानते हुए तदनुसार 4% की दर से करदेयता निर्धारित करने का अनुरोध किया गया।

3. उपरोक्त संदर्भ में एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, कानपुर जोन-प्रथम, कानपुर द्वारा पत्र संख्या-547, दिनांक 12.06.2015 से प्रेषित आख्या में कहा गया है कि परफ्यूमरी कम्पाउन्ड को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II की वस्तु न होने के कारण इसे अवर्गीकृत वस्तु माना गया है तथा इस पर व्यापारी द्वारा रिटर्न के अनुसार प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने के पूर्व से ही अवर्गीकृत वस्तु के अन्तर्गत कर जमा किये जाने का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार व्यापारी द्वारा पूर्व में ही अवर्गीकृत वस्तु के अन्तर्गत करदेयता स्वीकार करते हुए कर जमा किया जा रहा है, तब ऐसी स्थिति में व्यापारी के द्वारा दिये गये धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उठाया गया बिन्दु ग्राह्य न होने का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया परफ्यूमरी कम्पाउन्ड जो कि सुगन्धित तम्बाकू व पान मसाला में प्रयुक्त होता है, वह अवर्गीकृत वस्तु होने के कारण इस पर करदेयता 12.5% एवं सैट 1.5% के साथ कुल 14% की होती है। चूँकि व्यापारी द्वारा रूपपत्रों में करदेयता स्वीकार की जा चुकी है इसलिए धारा-59 (1) में निहित प्राविधान के अनुसार रूपपत्र

....2

दाखिल करते ही करदेयता का बिन्दु कर निर्धारण अधिकारी के विचाराधीन हो जाता है । अत: प्रार्थना-पत्र धारा-59(1) के अन्तर्गत ग्राह्य नहीं है ।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, कानपुर जोन-प्रथम, कानपुर द्वारा आख्या में स्वयं यह कहा है कि प्रार्थी द्वारा रिटर्न दाखिल किया जा रहा है, तथा इनके द्वारा 12.5% + 1.5% की दर से कर जमा किया जा रहा है । माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सर्वश्री घनश्याम दास बनाम रीजनल असिस्टेंट कमिश्नर सेल्स टैक्स, नागपुर (1964 AIR 766) के वाद में दिये गये निर्णय के क्रम में विचाराधीन कार्यवाही (proceedings pending) को स्पष्ट किया गया है । इस निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह व्यवस्था दी गयी है कि पंजीकृत व्यापारी के मामले में रिटर्न दाखिल करते ही कर निर्धारण की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है । उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम की धारा-35 एवं उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के प्राविधान समान हैं । धारा-35 के मामले में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कमिश्नर सेल्स टैक्स, यू0पी0 बनाम राना मसाला उद्योग 1983 ATJ 240 के वाद में यह व्यवस्था दी है कि एक बार रिटर्न जमा करने के बाद विवादित करदेयता के सम्बन्ध में धारा-35 की कार्यवाही नहीं की जा सकती है । चूँकि प्रश्नगत बिन्दु के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी द्वारा कर विवरणी (रूप-पत्र) दाखिल की गयी है । अत: प्रश्नगत बिन्दु कर निर्धारण की कार्यवाही में विचाराधीन होना माना जायेगा । अत: प्रश्नगत बिन्दु का विनिश्चय उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 की परिधि के बाहर होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र ग्राह्य नहीं होना चाहिए ।

उक्त के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 (4) में यह व्यवस्था है कि :-

No question which arises from an order already passed, in the case of applicant, by any authority under this Act or the Tribunal, shall be entertained for determination under this section.

प्रश्नगत प्रार्थी का वर्ष 2011-12 का कर निर्धारण आदेश दिनांक 18.07.2014 को पारित किया जा चुका है जिसमें प्रार्थी द्वारा विचाराधीन वस्तु Perfumery Compound पर 13.5% की दर से कर निर्धारित किया जा चुका है । अतएव उक्त के परिप्रेक्ष्य में भी प्रश्नगत बिन्दु का विनिश्चय उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 की परिधि के बाहर होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र ग्राह्य नहीं होना चाहिए ।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, कानपुर जोन-प्रथम, कानपुर द्वारा प्रेषित आख्या एवं मामले से सुसंगत विधिक प्राविधानों का परिशीलन किया गया, तथा प्रस्तुत सैम्पल का अवलोकन किया गया । पाया गया कि प्रार्थी द्वारा रिटर्न दाखिल किया जा रहा है । इनके द्वारा 12.5% + 1.5% की दर से कर जमा किया जा रहा है । माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सर्वश्री घनश्याम दास बनाम रीजनल असिस्टेंट कमिश्नर सेल्स टैक्स, नागपुर (1964 AIR 766) के वाद में विचाराधीन कार्यवाही (proceedings pending) को स्पष्ट किया गया है । इस निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह व्यवस्था दी गयी है कि पंजीकृत व्यापारी के मामले में रिटर्न दाखिल करते ही कर निर्धारण की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है । उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम की धारा-35 एवं उत्तर प्रदेश

....3

मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के प्राविधान समान है । धारा-35 के मामले में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कमिश्नर सेल्स टैक्स, यू0पी0 बनाम राना मसाला उद्योग 1983 ATJ 240 के वाद में यह व्यवस्था दी है कि एक बार रिटर्न जमा करने के बाद विवादित करदेयता के सम्बन्ध में धारा-35 की कार्यवाही नहीं की जा सकती है । चूँकि प्रश्नगत बिन्दु के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी द्वारा कर विवरणी (रूप-पत्र) दाखिल की गयी है । अत: प्रश्नगत बिन्दु कर निर्धारण की कार्यवाही में विचाराधीन होना माना जायेगा, तथा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) के निम्नलिखित प्राविधान :-

(1) If any question arises, otherwise than in a **proceedings pending** before a Court or before an authority under this Act, whether, for the purposes of this Act-

(a) any person or association of persons, society, club, firm, company, corporation, undertaking or Government Department is a dealer; or

(b) any particular thing done to any goods amounts to or results in the manufacture of goods within the meaning of that term; or

(c) any transaction is a sale or purchase and, if so, the sale or purchase price, as the case may be, therefor; or

(d) any particular dealer is required to obtain registration; or

(e) any tax is payable in respect of any particular sale or purchase and, if so, the rate thereof, के दृष्टिगत प्रार्थी पंजीकृत हैं, तथा संगत वर्ष के लिए रिटर्न दाखिल किया गया है ।

उक्त के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 (4) में यह व्यवस्था है कि :-

No question which arises from an order already passed, in the case of applicant, by any authority under this Act or the Tribunal, shall be entertained for determination under this section.

प्रार्थी का वर्ष 2011-12 का कर निर्धारण आदेश दिनांक 18.07.2014 को पारित किया जा चुका है जिसमें प्रार्थी द्वारा विचाराधीन वस्तु Perfumery Compound पर 13.5% की दर से कर निर्धारित किया जा चुका है ।

अत: उपरोक्त विधिक प्राविधानों के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नगत बिन्दु पर प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 की परिधि से बाहर होने के कारण ग्राह्य योग्य नहीं है ।

6 प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उपरोक्त की प्रति प्रार्थी , कर निर्धारण अधिकारी तथा कम्प्यूटर में अपलोड करने हेतु मुख्यालय के आई0टी0 अनुभाग को प्रेषित की जाये ।

दिनांक 26 जून, 2015

ह0 / 26.06.2015

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।